न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

वाद संख्याः– 201 / 2020 निर्णय दिनांक :–22.01.2021

श्री प्रार्थना पत्र :

1. रामनारायण पुत्र रूघनाथ जाति बैरवा निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
2. रामचन्द्रा पुत्र रूघनाथ जाति बैरवा निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
3. कल्याण पुत्र पि0 मु0 सुखदेवा जाति बैरवा निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
4. दांखा पुत्री सुखदेवा जाति बैरवा निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
5. पाना पुत्री सुखदेवा जाति बैरवा निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
6. फुला पुत्री सुखदेवा जाति बैरवा निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
7. मनभर पुत्री सुखदेवा जाति बैरवा निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

– प्रार्थी –

बनाम

1. मोहनी पत्नी गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
2. रमेश पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
3. खगेश पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
4. मधु पुत्री गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
5. भवनेश पुत्र माता आशा जाति ब्राहम्ण निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज. हाल निवासी
6. शाखा प्रबन्धक युबीआई बैंक शाखा दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
7. तहसीलदार दूनी जिला टोंक (राज.)

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थितिः–

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 805 रकबा 0.76 है0 खसरा नम्बर 806 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 807 रकबा 0.63 है0, खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.76 है0 वाके बालागढ पटवार हल्का गुराई तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नही है इसलिये प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 805 रकबा 0.76 है0, वाके बालागढ एंवं मुख्य गै0मु0 रास्ता खसरा 810 के मध्य अप्रार्थी नं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 809 रकबा 1.37 है0, उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थी नम्बर 1 से 5 काबिज काश्त हैं उक्त भूमि खसरा नम्बर 809 के दक्षिणी दिशा की तरफ 13 फिट चौडे रास्ते से होकर

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 805 व अन्य भूमि मे आते जाते कार्य करते रहे है। प्रार्थीगण मात्र उक्त रास्ते से ही अपनी जोत की भूमि पर रहे है। उक्त खसरा नम्बर 809 मे प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया आवश्यक व सुलभ है। प्रार्थीगण की भूमि व मुख्य गै0मु0रास्ते के मध्य अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 5 की भूमि मे से प्रार्थीगण को रास्ते दिये जाने पर सबसे कम दूरी पडती है यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 809 पर अप्रार्थी नम्बर 1 से 5 काबिज काश्त होने से आने जाने से रोकते है, तथा रास्ते का अवरूद्ध कर दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नम्बर 1 से 5 को उक्त रास्ता चाहने बाबत अप्रार्थीगण से कहा परन्तु अप्रार्थी नम्बर 1 से 5 सहमत नही हुये। प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर 809 रकबा 1.37 है0 के दक्षिण दिशा की तरफ 13 फिट चौडा नया रास्ता चाह गया है उक्त भूमि बैंक के रहन होने से बैंक को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 805 रकबा 0.76 है0, भूमि वाके ग्राम बालागढ पटवार हल्का गुराई तहसील दूनी जिला टोंक पर आने जाने के लिए अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 की भूमि खसरा नम्बर 809 रकबा 1.37 है0, बालागढ पटवार हल्का गुराई में से 13 फीट चौडा रास्ता/ नया मार्ग वैकल्पिक रिकर्डेड रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे प्रार्थीगण की आराजी होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण हमेशा से ही खसरा नम्बर 805 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1277 के उत्तरी दिशा मे होकर अपने खातेदारी की भूमि मे आते जाते रहे है और आज भी खसरा नम्बर 1277 मे होकर ही आ जा रहे है। चूंकि प्रार्थीगण को दिये जाने वाले रास्ते की दूरी भी खसरा अप्रार्थीगण के खेत की दूरी अधिक होते हुये भी खसरा नम्बर 809 में से रास्ता मांगा जो न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता पूर्व मे ही मौजूद है। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 809 मे से होकर अपने खेत मे नही गये है और ना ही वहां पर किसी प्रकार का रास्ता बना हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने वाली बात सरासर गलत है। प्रार्थीगण हमेशा से ही खसरा नम्बर 1277 के उत्तरी दिशा मे से होकर अपने खातेदारी की भूमि मे आते जाते रहे है और आज भी खसरा नम्बर 1277 मे होकर ही आ जा रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के उद्धेश्य से पेश किया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब /मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार जिसमें प्रार्थीगण स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 805, 806, 807, 1282 तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहता है। मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के अन्य काई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। आराजी खसरा नम्बर 809

है0 किस्म बारानी में प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 84 मीटर क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर होगा। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर /– रू0 प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी दर से दुगनी प्रतिकर राशि 18980/– रूपये होती आवेदक की आराजी खसरा नम्बर 805, 806, 807, 1282 वाके ग्राम बालागढ खातेदारी है। प्रार्थीगण आराजी ख. नं. 809 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य से कोई संरचना जैसे पेड, दिवार नही है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर मय अभिशंषा के सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 805, 806, 807, 1282 वाके ग्राम बालागढ में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थीगण एक बहुत ही गरीब काश्तकार है जिसको कोई भी अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं देता है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी भूमि पड़त रह जाएगी और अनावश्यक लड़ाई झगडे बढेंगे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस में में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण काफी वर्षो से ही आराजी 1277 के उतर होकर आते जाते रहे है और प्रार्थी की आराजी भूमि में जाने के लिए समीपस्थ रास्ता भी यही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 805 वाके ग्राम बालागढ में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही अनुसार प्रस्तावित रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 809 रकबा 1.37 है0 किस्म बारानी में प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 84 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 336 वर्ग मीटर होगा। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 282447/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी दर से दुगनी प्रतिकर राशि 18980/– रूपये होती है। आवेदित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अतः तहसीलदार दूनी 336 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण द्वारा उक्त डी.एल.सी दर के अनुसार या वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी की दर पुनः गणना कर दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाने के पश्चात करे। अप्रार्थी संख्या 6 अपनी ऋण राशि शेष बची भूमि से नियमानुसार वसूल करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान कर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली